# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/960 दिनांक– 22.05.24

**परिपत्र**

निगम वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि व आग लगने पर आपातकालीन स्थिति में यात्री जीवन सुरक्षा के लिये निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें–

**मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (याता0/संचालन) हेतु निर्देशः–**

1. वाहन को मार्ग पर ले जाने से पूर्व वाहन की भली–भॉति जांच की जावे। लूज वायरिंग इत्यादि को सही कराकर ही मार्ग पर भेजा जावे।
2. आपातकालीन खिड़की सही स्थिति में हो यह भी सुनिश्चित किया जावे।
3. फर्स्ट एड बॉक्स को दैनिक रूप से चैक कर प्राथमिक उपचार सामग्री रखी होना सुनिश्चित किया जावे तथा इसके उपयोग की जानकारी चालक एवं परिचालक को होना आवश्यक है।
4. निगम की प्रत्येक वाहन में अग्निशमन यंत्र लगवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. अग्निशमन यन्त्र खाली होने पर तुरन्त भरवाया जाकर चालू स्थिति में रखा जावें।
6. निगम की जिन वाहनों में पार्सल सेवा के तहत सामान परिवहन किया जा रहा है उन सामान के साथ ज्वलनशील पदार्थो का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है इसकी सख्ती/कठोरता से पालना हेतु चालक/परिचालक को पाबन्द किया जावे।
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) द्वारा निगम से अनुबन्धित वाहनों में भी उपरोक्त व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करवाई जावे।

**चालक/परिचालक हेतु निर्देशः–**

1. वाहन को मार्ग पर ले जाने से पूर्व चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि वाहन की वायरिंग एवं वाहन के अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण सही स्थिति में कार्य कर रहे हो।
2. निगम वाहनों में यात्रियों द्वारा वाहन के अन्दर ले जाये जा रहे लगेज के सम्बंध में चालक/परिचालक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नही है।
3. चालक/परिचालक वाहन संचालन के दौरान धूम्रपान नही करें व यात्रा के दौरान किसी भी यात्री द्वारा धूम्रपान नही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. वाहन में किसी भी प्रकार का धुंआ, जलने की बदबू एवं आपात स्थिति में चालक/परिचालक वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोककर यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारा जाना सुनिश्चित करेंगे एवं यथाशीघ्र स्थानीय प्रशासन, नियन्त्रण कक्ष एवं सम्बंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें। साथ ही उक्त निर्देशो की अवहेलना/लापरवाही/अनियमितता होने पर सबंधित मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) जिम्मेदार होंगे।

(रवि सोनी)
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

RajKaj Ref
7379094

Signature valid
Digitally signed by Ravi Soni
Designation: Executive Director(Engineering)
Date: 2024.05.22 10:23:07 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक–एफ5 / मुख्या. / दुर्घ / प्रशि. / 24 / 960                                                    दिनांक– 22.05.24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष........................................ राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) राजरथान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सर्म्पक) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. जोनल मैनेजर / जोनल इंजीनियर, राजस्थान परिवहन निगम, ...................................जोन।
6. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (संचालन) राजस्थान परिवहन निगम,......................................आगार।
7. निजी / आदेश पत्रावली।

(रवि सोनी)
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

RajKaj Ref
7379094

Signature valid
Digitally signed by Ravi Soni
Designation : Executive Director(Engineering)
Date: 2024.05.2[illegible]0:23:07 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner